भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1957
उत्तर देने की तारीख-05/08/2026

विद्यालयों में स्कूली शिक्षा की निरंतरता का अभाव

1957 **श्री एस. निरंजन रेड्डी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नीति आयोग के "भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली: गुणवत्ता संवर्धन के लिए सामयिक विश्लेषण और नीतिगत रूपरेखा" शीर्षक से प्रकाशित नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि देश में केवल लगभग 5 प्रतिशत विद्यालय ही कक्षा 1 से 12 तक निरंतर स्कूली शिक्षा प्रदान करते हैं;
(ख) क्या सरकार ने, विशेषकर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्कूली शिक्षा में निरंतरता नहीं होने के कारण विद्यार्थियों के एक कक्षा से दूसरी कक्षा में उत्तीर्ण होने, विद्यालय में बने रहने तथा पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है; और
(ग) कक्षा 1 से 12 तक निरंतर स्कूली शिक्षा प्रदान कराने वाले विद्यालयों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा प्रस्तावित हैं और तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): यूडीआईएसई+ वर्ष 2025-26 के अनुसार, कुल 14,66,682 स्कूलों (सभी प्रबंधन) में से देश में 83,185 स्कूल (5.67%) हैं जो कक्षा I से XII तक निरंतर स्कूली शिक्षा प्रदान करते हैं।

(ख): यूडीआईएसई+ के अनुसार, प्रारंभिक से मध्य स्तर में अंतरण दर वर्ष 2024-25 में 92.2 से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 93.8 हो गई है और मध्य से माध्यमिक स्तर पर वर्ष 2024-25 में 86.6 से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 88.3 हो गई है, माध्यमिक स्तर पर प्रतिधारण दर वर्ष 2024-25 में 47.2 से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 51.9 हो गई है और साथ ही, माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर वर्ष 2024-25 में 8.2 से बेहतर हो कर वर्ष 2025-26 में 7.0 हो गई है।

(ग): यह विभाग स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत केन्द्रीय प्रायोजित योजना- समग्र शिक्षा कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत पूर्व-प्राथमिक से बारहवीं कक्षा तक विभाजन के बिना स्कूली शिक्षा

को समग्र रूप से संचालित की जाती है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।

इस योजना में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक स्कूलों के उन्नयन/सुदृढ़ीकरण हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उनकी आवश्यकता और प्राथमिकताओं के अनुसार वार्षिक योजनाएं तैयार की जाती हैं। इन वार्षिक योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के परामर्श से विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2026-27 की अवधि के दौरान माध्यमिक स्तर पर उन्नयन के लिए अनुमोदित स्कूलों की संख्या अनुलग्नक में है।

अनुलग्नक

'विद्यालयों में स्कूली शिक्षा की निरंतरता का अभाव' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री एस. निरंजन रेड्डी द्वारा पूछे गए दिनांक 05 अगस्त, 2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1957 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्रम संख्या	राज्य	माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक में उन्नयन
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	2
3.	असम	47
4.	छत्तीसगढ़	25
5.	दादरा और नगर हवेली	8
6.	हिमाचल प्रदेश	1
7.	जम्मू और कश्मीर	12
8.	कर्नाटक	43
9.	लद्दाख	3
10.	मध्य प्रदेश	42
11.	मणिपुर	23
12.	मेघालय	39
13.	मिजोरम	36
14.	नागालैंड	7
15.	ओडिशा	331
16.	पुडुचेरी	1
17.	पंजाब	241
18.	राजस्थान	606
19.	सिक्किम	10
20.	तमिलनाडु	6
21.	त्रिपुरा	32
22.	उत्तर प्रदेश	98
23.	उत्तराखंड	3
कुल		**1617**

स्रोत: प्रबंध

****